TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 19TH MARCH, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi the 19th March, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 740(E) dated 12th October, 1994 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at serial number 4-, the construction of Indoor Badminton Stadium at Bangalore by Karnataka Badminton Association, Bangalore, as an eligible project or scheme for a period of two assessment years commencing from the assessment year 1995-96;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of construction of Indoor Badminton Stadium at Bangalore, which are being carried out by Karnataka Badminton Association, Bangalore, at the estimated cost of rupees one crore sixty lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of one assessment year in relation to assessment year 1997-98.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10018
F.No. NC-15/96

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड- 3, उपखण्ड[ii] में प्रकाशनार्थ
दिनांक 19 मार्च, 1996

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

नईदिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 1996

अधिसूचना

का०आ० [अ]-केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961[1961 का 43] की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड [ख] के साथ पठित उपधारा [1] के अन्तर्गत दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 को का.आ. 740[अ] के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्रम संख्या 4 पर कर्नाटक बैडमिंटन संघ, बंगलौर द्वारा बंगलौर में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के निर्माण की योजना को पात्र परियोजना यास्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो निर्धारण वर्ष के लिए विर्निदिष्ट किया था ;

और उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्ष से आगे बढ़ जाने की संभावना है ;

और, अब राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम [5] के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961[1961 का 43] की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड [ख] के साथ पठित उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक बैडमिंटन संघ, बंगलौर द्वारा केवल एककरोड़ साठ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बंगलौर में किए जा रहे इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के निर्माण की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्धारणवर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले एक निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए विर्निदिष्ट करती है ।

[बी. के. सहगल]
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10018
फा. -15/96